न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 108/2024 **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट**

कानाराम खेदड़ पुत्र देवा जाति जाट निवासी गंडीवाल की ढ़ाणी तहसील नेछवा जिला–सीकर

बनाम

तहसीलदार, नेछवा जिला सीकर

दिनांक : 28.10.2024

–: आदेश :–

प्रार्थी काना राम खेदड़ ने प्रार्थना पत्र अं0धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार नेछवा से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार नेछवा से रिपोर्ट प्राप्त। प्रार्थी ने प्रकरण में आदेश जारी किये जाने बाबत निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार नेछवा की रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2024 /1958 दिनांक 07.10.2024 के अनुसार ग्राम नेछवा की जमाबन्दी संवत् 2053–56 खाता संख्या 178 में **देवा पुत्र पीथा हिस्सा 1/8 जाति जाट सा. देह** व शेष हिस्सा 7/8 दर्ज है। जबकि जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 206 के ख0न0 622, 623, 624, 625, 626, 627, 646, 647, 648 व 649 कुल किता 10 कुल रकबा 5.60 हैक्टेयर में देवा पुत्र पीथा का नाम सहवन से दर्ज होने से रह गया तथा खाते के शेष हिस्सों का योग 7/8 हो रहा है। खाते का हिस्सा एक नहीं हो रहा है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2076–79 में देवा पुत्र पीथा का नाम सहवन से दर्ज होने से रह गया। अतः वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 2 में मुन्ना पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/32, तिलोका पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/32, भंवरा पुत्र डुंगा हिस्सा 1/192, धन्ना पुत्र डुंगा हिस्सा 1/192, नंदा पुत्र डुंगा हिस्सा 1/192, रिछपाल पुत्र डुंगा हिस्सा 1/192, नानुडी पत्नि डुंगा हिस्सा 1/192, अनिता पुत्री गोविन्दा हिस्सा 1/768, पहपी देवी पत्नि गोविन्दा हिस्सा 1/768, बिमला पुत्री गोविन्दा हिस्सा 1/768, भंवरी पुत्री गोविन्दा हिस्सा 1/768, **देवा पुत्र पीथा हिस्सा 1/8** (शेष हिस्सा 3/4 जमाबन्दी अनुसार) संशोधित करने की अभिशंषा की गई।

अतः तहसीलदार नेछवा की उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नेछवा

उपखण्ड अधिकारी
नेछवा (सीकर)

Scanned with CamScanner